न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/66/2025	2025/324	18.08.2025	25.11.2025

1. संतो पत्नि स्व० श्री घीसाराम जाति धींवर उम्र करीब 60 साल
2. नन्दलाल पुत्र स्व० श्री घीसाराम जाति धींवर उम्र करीब 33 साल
3. फूलसिंह पुत्र स्व० श्री घीसाराम जाति धींवर उम्र करीब 42 साल
4. रामसिंह पुत्र स्व० श्री घीसाराम जाति धींवर उम्र करीब 38 साल, निवासीयान ग्राम केरवाड़ा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज०

–अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार लैण्ड होल्डर मालाखेडा तहसील मालाखेड़ा (अलवर)

–असल रेस्पोडेन्ट

2. दुलारी देवी पुत्री स्व० श्री घीसाराम धींवर उम्र करीब 44 साल,
3. मीरादेवी पुत्री स्व० श्री घीसाराम धींवर उम्र करीब 40 साल,
4. सुमन देवी पुत्री स्व० श्री घीसाराम धींवर उम्र करीब 30 साल, सभी निवासीयान ग्राम केरवाड़ा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज०

–तरतीवी रेस्पोर्डेटन

अपील विरुद्ध तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर आदेश दिनांक 26.05.2025 इंतकाल सं० 30 वाके ग्राम धींवर बास तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

उपस्थितः–

01–श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल –वकील अपी0
02–श्री कमल सिंह पोसवाल –वकील तरतीवी रेस्पो0
03–श्री दीपक मीना (पैरोकार सरकार) –राजकीय अधिवक्ता

–:निर्णयः–

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 26.05.2025 इंतकाल संख्या 30 वाके ग्राम धींवर बास तहसील मालाखेडा स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नंबर 1774 रकबा 0.09 है० गै०मु० चाह में से 1/16 हिस्सा, खसरा नंबर 1773 रकबा 0.74 है0, 1778 रकबा 0.23 है0, 1779 रकबा 0.51 है0, 1783 रकबा 0.37 है0, 1784 रकबा 0.01 है0, 1786 रकबा 0.46 है० कुल किता 06 रकबा 2.32 है0 में से 2/29 हिस्सा, खसरा नंबर 1782 रकबा 0.01 है0 का 1/8 हिस्सा, खसरा नंबर 1766 रकबा 0.30 है0, 1767 रकबा 0.38 है० किता 2 रकबा 0.68 है0 का 1/4 हिस्सा, आराजी खसरा नंबर 2128 रकबा 0.30 है0, 2274 रकबा 0.27 है0, 2350 रकबा 0.05 है0, 2351 रकबा 0.05 है0 व 2352 रकबा 0.14 है0 किता 5 रकबा 0.81 है० का 1/2 हिस्सा ग्राम धींवर बास

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज० में स्थित है। उक्त आराजी दावा हाजा में विवादित है, जिसे आगे 'विवादित आराजी' कहा जायेगा।

विवादित आराजी अपीलांटान एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टान के पिता श्री घीसाराम पुत्र बिहारी जाति धीवर की कब्जे काश्त खातेदारी की है। श्री घीसाराम का स्वर्गवास दिनांक 27–12–2020 को हो गया था। जिनकी विरासत का इंतकाल खुलवाने हेतु राज्य सरकार के सांख्यिकी विभाग से मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 16–01–2021 को प्राप्त करके अपीलांटान मृत्यु प्रमाण पत्र साथ लेकर पटवारी हल्का के पास गये और मृतक की विरासत का इंतकाल दर्ज करने हेतु निवेदन किया तथा पटवारी हल्का ने दिनांक 23–05–2025 को विरासत इंतकाल संख्या 30 के खाना संख्या 06 में खातेदार घीसाराम पुत्र बिहारी साकिन देह खातेदार अंकित करते हुए खाना संख्या 8 में अपीलांट व तरतीबी रेस्पाडेन्टान जो कि मृतक घीसाराम के विधिक जायज वारिसान हैं, का नाम लिखकर तहसीलदार साहब के समक्ष इस रिपोर्ट के साथ पेश किया कि श्रीमानजी मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, वारिसान के अनुसार नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है। पटवारी हल्का का नाम प्रदीप कुमार सैनी दिनांक 23–05–25 अंकित है। उक्त इंतकाल को प्रस्तुत होने पर तहसीलदार साहब ने पटवारी हल्का एवं आईएलआर से कहा कि खातेदार मृतक का नाम जमाबंदी में घीसाराम लिखा हुआ है लेकिन जो मृत्यु प्रमाण पत्र पेश हुआ है उसमें घीस्या लिखा हुआ है, जो परस्पर मैच नहीं करता है यानि मृतक के वारिसान से मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक खातेदार का सही नाम घीसाराम दर्ज करवाकर पुनः सही मृत्यु प्रमाण पत्र लाने को कहा, जिस पर अपीलांटान ने अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम घीसाराम पुत्र बिहारी अंकित करवाकर मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 11–07–25 को जारी करवाकर पटवारी हल्का को पेश किया। जिस पर पटवारी हल्का ने कहा कि आपका नामान्तकरण संख्या 30 का निर्णय तो तहसीलदार साहब ने दिनांक 26–05–25 को ही करके आपका इंतकाल निरस्त कर दिया है, मैं अब इसमें कुछ नही कर सकता, आप तहसीलदार साहब से ही मिलो, जिस पर अपीलांटान ने तहसीलदार साहब से संपर्क किया और उनको अपने पिता के सही नाम से जारी कराया गया मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर निवेदन किया कि हमने अपने पिता का सही नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज करवा लिया है, अब इंतकाल संख्या 30 का निर्णय को संशोधित कर पुनः संशोधित निर्णय जारी करने की कृपा करें तो तहसीलदार साहब ने कहा कि मेरे द्वारा जब एक बार इंतकाल खारिज कर दिया गया है तो मैं उसे संशोधित नही कर सकता हूँ, आप अब कलक्टर साहब के यहां अपील पेश करके फैसला करालो। जिस पर अपीलांटान ने उक्त इंतकाल संख्या 30 एवं उसके आधार पर जमाबंदी संवत 2074 से 2077 में विवादित आराजी के बाबत नामान्तकरण संख्या 30 दिनांक 26–05–25 को निरस्त किए जाने का नोट लगा हुआ है, की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त कर अपने वकील साहब को लाकर दी और उनसे कानूनी सलाह मशवरा किया तो वकील साहब ने अपील पेश करने की सलाह दी, जिस पर अपीलांट ने वकील साहब फीस व अन्य खर्चे के लिए रूपये का इंतजाम किया और आज अविलम्ब यह अपील पेश की जा रही है, जो विलंब का समय माफ करते हुए अंदर मियाद स्वीकार किए जाने योग्य है जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 मियाद अधिनियम पेश है।

मृत्यु प्रमाण पत्र खातेदार मृतक घीसाराम का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में सही दर्ज करवाकर उसकी प्रति तथा परिवार राशन कार्ड, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पासबुक एवं आधार कार्ड की प्रति आदि में अपीलांटान के पिता का नाम घीसाराम अंकित है जो अपील हाजा के साथ भी संलग्न कर न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 30 जो विरासत श्री घीसाराम मृतक का तहसीलदार साहब द्वारा दिनांक 26–05–25 को निरस्त किया गया है, वह निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से अपीलांटान

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

को बिना तलब किये व बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान की गैरमौजूदगी में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान मृतम घीसाराम के जायज व कानूनी वारिसान हैं लेकिन वक्त दायरी अपील आज तरतीबी रेस्पोडेन्टान आवश्यक कार्य में वयस्त होने के कारण अपील पेश करने हेतु अपीलांटान के साथ शामिल नहीं हो पाये हैं। जिस कारण उन्हें अपील हाजा में तरतीबी रेस्पोडेन्ट की जैल में पक्षकार बनाया गया है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मालाखेड़ा जिला अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–05–25 बावत विरासत इंतकाल संख्या 30 स्व० घीसाराम पुत्र बिहारी जाति धींवर को निरस्त फरमाया जावे तथा इंतकाल संख्या 30 बहक अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान स्वीकार किए जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

विद्वान वकील तरतीवी रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 26.05.2025 विरासत नामांतकरण सं० 30 वाके ग्राम धीवर का बास तहसील मालाखेडा को निरस्त किया गया है जो कानूनन सही किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र मृतक घीसाराम का स्वर्गवास 27.12.2020 को हो गया था जिसका मृत्यु प्रमाण–पत्र राज्य सरकार के सांख्यिकी विभाग दिनांक 16.01.2021 को प्राप्त कर अपीलांट ने पटवारी हल्का को प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा मृतक घीसाराम के विधिक वारिसानों के नाम लिखकर तहसीलदार को ऑनलाइन रिपोर्ट पेश की जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा ने पटवारी हल्का/भू–अभिलेख निरिक्षक को बताया कि खातेदार मृतक का नाम जमाबंदी में घीसाराम लिखा हुआ है लेकिन जो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें मृतक का नाम धीस्या अंकित हुआ है जो परस्पर मैच नहीं करता है यानि मृतक के वारिसान से मृत्यु प्रमाण–पत्र में मृतक का सही नाम घीसाराम दर्ज करवा कर पुनः लाने को कहा। जिसके उपरांत अपीलांट ने अपने पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र में नाम घीसाराम पुत्र बिहारी अंकित करवाकर मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 11.07.2025 को जारी करवाकर पेश करने पर पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि उक्त नामांतकरण संख्या 30 निरस्त कर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार विरासत नामांतकरण की कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विरासत नामांतकरण दर्ज करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

विद्वान वकील राजकीय अधिवक्ता पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा द्वारा उक्त नामांतकरण सं० 30 नियमानुसार निरस्त किया गया है क्योंकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र में मृतक घीसाराम के राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नाम में भिन्नता होने के कारण नामांतकरण निरस्त करना उचित प्रतीत होता है। अतः अपीला अपीलांट खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2025 के विरूद्व दिनांक 13.08.2025 को पेश की गयी है जो लगभग 03 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अपी0 का मुख्य निवेदन है कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में मृतक घीसाराम पुत्र बिहारी का विरासत नामांतकरण के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र पेश किया गया है। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा मृतक घीसाराम के विधिक वारिसानों के नाम लिखकर तहसीलदार को ऑनलाइन नामांतकरण सं० 30 पेश किया गया है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा ने पटवारी हल्का/भू–अभिलेख निरिक्षक को अवगत कराया कि खातेदार मृतक का नाम जमाबंदी में घीसाराम लिखा हुआ है लेकिन जो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें मृतक का नाम घीस्या अंकित हुआ है जो परस्पर मैच नहीं करता है यानि मृतक के वारिसान से मृत्यु प्रमाण–पत्र में मृतक का सही नाम घीसाराम दर्ज करवा कर पुनः लाने को कहा। जिसके उपरांत अपीलांट ने अपने पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र में नाम घीसाराम पुत्र बिहारी अंकित करवाकर मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 11.07.2025 को जारी करवाकर पेश करने पर पटवारी हल्का को पेश किया गया। पटवारी हल्का के द्वारा अपीलांट को अवगत कराया कि उक्त नामांतकरण संख्या 30 को दिनांक 26.05.2025 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि–विरूद्ध व त्रुटिपूर्ण नामांतकरण निरस्त किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा द्वारा तस्दीक किया गया नामांतरण संख्या 30 दिनांक 26.05.2025 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि अपीलाण्ट के दस्तावेजों की विधिक जांच व परीक्षण कर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
(राज0)